



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

रीख हुकम	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>वाद पत्र संख्या 15 / 2018 GCMS NO. 2018/00072</p> <p>उनवानी गुलाब बनाम ग्यारसा आदि</p> <p>अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>अहकाम जो इस</p> <p>हुकम की तामील</p> <p>में जारी हुए</p>
11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादी का हस्तगत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के नियम 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="text-align: center;">  <p>(बन्शी धर योगी)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी</p> <p>जिला नीमकाथाना (राज.)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div>	

